

आदेश पर की गई कार्यवाही
गोर्ख कारवाही
बारे में टिप्पणी
सहित।

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्यवाही

1

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

अधिहरण वाद संख्या- 01/2018-19

राज्य सरकार द्वारा पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज

-बनाम-

राम प्रसाद साह एवं अन्य

-: आदेश :-

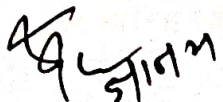
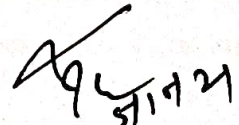
05.10.2021

प्रस्तुत घाद पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज के पत्रांक 1292/अप0शा0, दिनांक 08.05.2018 के द्वारा बरहेट थाना कांड संख्या 43/2018, दिनांक 25.04.2018 धारा-379/411 भा0द0वि0 एवं 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जप्त किये गये 4 (चार) बोरा गेहूँ एवं 3 (तीन) बोरा चावल को राजसात (अधिहरित) करने हेतु हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वाद प्रारम्भ किया गया।

मामला संक्षिप्त में निम्न प्रकार है:- कांड के वादी मोहन लाल टुडू, स0अ0नि0 ने दिनांक 24.04.2018 को संध्या गश्ती में बरहेट थाना रिजर्व गार्ड के हवलदार श्री कान्ति प्रसाद पाण्डेय आ0/544, मनोज कुमार आ0/55, राजेश राम आ0/138, रमेश टोप्पो के साथ समय करीब 15:30 बजे थाना से प्रस्थान किये। संध्या गश्ती के क्रम में करीब 21:45 बजे सूचना मिली कि 2 दस चक्का ट्रक गेहूँ चावल उतार कर ग्राम धोबडीहा के पक्की सड़क पर बेचा जा रहा है। सूचना के सत्यापन हेतु सशस्त्र बल के साथ प्रस्थान किया। जब 22:15 बजे ग्राम धोबडीहा पहुँचा तो देखा कि 1. दस चक्का ट्रक पंजीकरण संख्या JH19A-0319, एवं 2. दस चक्का ट्रक पंजीकरण संख्या JH19A-1679 से गेहूँ एवं चावल उतार कर बरहेट बरहरवा मुख्य पथ पर धोबडीहा स्थित राम प्रसाद साह, पे0-मोती लाल साह, सा0-धोबडीहा, थाना-बरहेट, जिला-साहेबगंज के यहाँ बेचा जा रहा था।

उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु धोबडीहा स्थित राम प्रसाद साह के मकान पर पहुँचे ही थे कि भारतीय खाद्य निगम का खाद्यान्न से लदा हुआ दो ट्रक चावल पकड़ा गया। ट्रक संख्या JH19A-0319 के चालक से पूछताछ करने पर अपना नाम अनिल कुमार साह, पे0-परमेश्वर साह, सा0-धरचांची, थाना-जमुआ, जिला-गिरीडीह एवं ट्रक संख्या JH19A-1679 के चालक ने अपना नाम रतन कुमार मंडल, पे0-छुटू मंडल, सा0-महाराजपुर, थाना-तालझारी, जिला-साहेबगंज बताये। इसी दौरान पुलिस बल द्वारा दोनों चालकों से पूछताछ करते देख मकान मालिक भागने लगे, जिसे काफी प्रयास के बाद पकड़ लिया गया।

उक्त घटना स्थल पर मौजूद दो स्वतंत्र साक्षी 1. सुराय हेम्ब्रम, पिता-शिव हेम्ब्रम एवं 2. कार्तिक साह, पिता-राम प्रसाद साह, दोनों सा0-धोबडीहा, थाना-बरहेट, जिला-साहेबगंज के समक्ष विधिवत जप्ती सूची बनाते हुए 4 (चार) बोरा गेहूँ एवं 3 (तीन) बोरा चावल जप्त किया गया एवं वादी के द्वारा लिखित आवेदन देकर थाना प्रभारी, बरहेट से अभियुक्त 1. अनिल कुमार साह, पे0-परमेश्वर साह, सा0-चांची, थाना-जमुआ, जिला-गिरीडीह, 2. रतन कुमार मंडल, पे0-छुटू मंडल, सा0-महाराजपुर, थाना-तालझारी, जिला-साहेबगंज, 3. ट्रांसपोर्टर कामता प्रसाद सिंह, 4. सतीश कुमार सिंह, पिता-कामता प्रसाद सिंह, एवं गेहूँ खरीदने वाले अभियुक्त राम प्रसाद साह के

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश गई
	2 विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके आधार पर थाना प्रभारी, बरहेट द्वारा कांड अंकित कर लिया गया। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बरहेट को जप्त सामग्री 4 (चार) बोरा गेहूँ एवं 3 (तीन) बोरा चावल को नियमानुसार बिक्री कर बिक्री मूल्य जिला आपूर्ति नजारत शाखा, साहेबगंज में जमा करने हेतु निदेश दिया गया एवं विपक्षी को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बरहेट के पत्रांक 79 दिनांक 27.09.2018 से 4 (चार) बोरा गेहूँ एवं 3 (तीन) बोरा चावल को बिक्री कर बिक्री राशि 6,050.00 (छः हजार पचास) रुपये जिला आपूर्ति नजारत में जमा करते हुए नाजीर रसीद जिल्द संख्या 2622/2018-19 दिनांक 27.09.2018 की छाया प्रति के साथ प्रतिवेदन दाखिल किया गया। विपक्षीगण कारण पृच्छा के साथ उपस्थित। विपक्षी अनिल कुमार साह एवं रतन कुमार मंडल के द्वारा दाखिल कारण पृच्छा में कहा गया कि उक्त थाना कांड में जप्त सामग्री 4 (चार) बोरा गेहूँ एवं 3 (तीन) बोरा चावल से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। विपक्षी राम प्रसाद साह के द्वारा दाखिल कारण पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि बरहेट थाना कांड संख्या 43/2018 दिनांक 25.04.2018 में जप्त 4 (चार) बोरा गेहूँ एवं 3 (तीन) बोरा चावल के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल के द्वारा साजिश के तहत मेरे नाम से प्राथमिकी दर्ज किया गया है। उनके द्वारा जप्त सामग्री 4 (चार) बोरा गेहूँ एवं 3 (तीन) बोरा चावल के संबंध में किसी प्रकार कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतएव उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि बरहेट थाना कांड संख्या 43/2018 दिनांक 25.04.2018 में जप्त 4 (चार) बोरा गेहूँ एवं 3 (तीन) बोरा चावल कालाबाजारी किया जा रहा था, जिसके संबंध में किसी अभियुक्त के द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया है। उक्त थाना कांड में जप्त सामग्री को 07 आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-6(ए) के अन्तर्गत राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज को आदेश दिया जाता है कि नाजीर रसीद जिल्द संख्या 2622/2018-19 दिनांक 27.09.2018 से जमा राशि को उचित शीर्ष में जमा करें। लेखापित एवं संशोधित।  जिला दण्डाधिकारी —सह— उपायुक्त, साहेबगंज।  जिला दण्डाधिकारी —सह— उपायुक्त, साहेबगंज।	